

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -129

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-01994

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "श्री साईं इन्क्लेव", प्रमोटर-सद्गुरु डेव्हलपर्स, द्वारा-श्री
कैलाश अग्रवाल, पता-जगदीश किराना स्टोर, बैकुण्ठपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"श्री साईं इन्क्लेव" पता-गोरखा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
21/06/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 10,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 21.05.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। चालान की मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर, चालान की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न करें। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही /- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	